रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230892
CG-MH-E-02112021-230892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 533]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अक्तूबर, 2021

सं. टीएएमपी/45/2021-एमओपीटी .—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा मरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से एमओपीटी में अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी क्रूज़ टर्मिनल, रो-पेक्स, फेरी के विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों की परियोजना के लाइसेंस शुल्क नियतन करने के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/45/2021-एमओपीटी

मरमुगाव पत्तन न्यास	- - -	**आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2021 के 25 वें दिन पारित)

यह मामला मरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से एमओपीटी में अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी क्रूज़ टर्मिनल, रो-पेक्स, फेरी के

विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों की परियोजना के लाइसेंस शुल्क नियतन करने के प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमओपीटी ने अपने 23 अगस्त, 2021 और 23 सितम्बर, 2021 के साथ एमओपीटी में अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी क्रूज़ टर्मिनल, रो-पेक्स, फेरी के विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों की परियोजना के लाइसेंस शुल्क के नियतन का पूरा प्रस्ताव भेजा है।

3. उक्त प्रस्ताव के बारे में एमओपीटी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार प्रयोक्ताओं / लाइसेंसधारकों / पट्टाधारकों / हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। प्रयोक्ताओं / लाइसेंसधारकों / पट्टाधारकों / हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां एमओपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजी गयीं। इस मामले में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 12 अक्तूबर, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में एमओपीटी और प्रयोक्ताओं / लाइसेंसधारकों / पट्टाधारकों / हितधारकों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

4. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर, इस प्राधिकरण ने एमओपीटी द्वारा 23 अगस्त, 2021 और 23 सितम्बर, 2021 को दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।

5.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एमओपीटी में अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी क्रूज़ टर्मिनल, रो-पेक्स, फेरी के विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों की परियोजना के लाइसेंस शुल्क के नियतन के एमओपीटी के प्रस्ताव का निम्नवत अनुमोदन करता है:

***"मरमुगाव बंदरगाह स्थित क्रूज़ टर्मिनल भवन के वाणिज्यक निर्मित क्षेत्र और वाणिज्यक भू-क्षेत्र का* अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी क्रूज़ टर्मिनल (आईडीसीटी), रो-पेक्स, फेरी के विकास और *मरमुगाव पत्तन में* अन्य अनुषंगी कार्यकलापों की परियोजना की लाइसेंस शुल्क अनुसूची**

क्रम संख्या	**अवस्थिति**	**लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ग मीटर प्रति माह (रु में)**
1.	क्रूज़ टर्मिनल भवन (भूतल + प्रथम तल) और अनुषंगी वाणिज्यक भवन	350.00
2.	वाणिज्यक भू-क्षेत्र	70.00

टिप्पण:

1. लाइसेंस शुल्क अनुसूची में दिये गये लाइसेंस शुल्क में, लाइसेंस शुल्क अनुसूची के कार्यान्वयन होने की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर, क्रमांक 1 में दिये गये परिसरों के लिये स्वत: ही 5% प्रति वर्ष की वृद्धि और क्रमांक 2 में दी गयी भूमि के पट्टा किरायों में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी और संवर्द्धित लाइसेंस शुल्क को संबंधित वर्ष के लिये प्रचलित लाइसेंस शुल्क अनुसूची समझा जायेगा। इस प्रकार निकाले गये लाइसेंस शुल्क को नजदीकी रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
2. लाइसेंस शुल्क इस अनुसूची के प्रभावी होने की तारीख से पांचवर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा।
3. लाइसेंस शुल्क को शासी करने वाली सारी शर्तें तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 29 अप्रैल, 2019 के स्पष्टकारी परिपत्र (भू प्रबंधन) संख्या 2019-20 का 1 के साथ पठित भू प्रबंधन नीति दिशानिर्देश 2015, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समय समय पर यथासंशोधित, के अनुसार होंगी"

5.2. लाइसेंस शुल्क अनुसूची भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी और पांच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

6. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा एमओपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं / लाइसेंसधारकों / पट्टाधारकों / हितधारकों को बाद में संसूचित किया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन,सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./398/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th October, 2021

No.TAMP/45/2021-MOPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Mormugao Port Trust (MOPT) for fixation of License fee for the project relating to development of International and Domestic Cruise Terminal, Ro-Pax, Ferry and other allied activities at MOPT, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/45/2021-NMPT

New Mangalore Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of October 2021)

This case relates to the proposal received from the Mormugao Port Trust (MOPT) for fixation of License fee for the project relating to development of International and Domestic Cruise Terminal, Ro-Pax, Ferry and other allied activities at MOPT.

2. The MOPT has vide its email dated 23 August 2021 alongwith 23 September 2021 forwarded its complete proposal for fixation of License fee for the project relating to development of International and Domestic Cruise Terminal, Ro-Pax, Ferry and other allied activities at MOPT.

3. The said proposal was taken on consultation with the concerned users/ licensees/ lessees/ stakeholders as per the list furnished by the MOPT. A copy of comments received from the concerned users/ licensees/ lessees/ stakeholders was forwarded to MOPT for comments. A joint hearing in this case was held on 12 October 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the MOPT and the concerned users/ licensees/ lessees/ stakeholders have made their submissions.

4. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MOPT dated 23 August 2021 alongwith 23 September 2021.

5.1. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, the proposal of MOPT for fixation of License fee for the project relating to development of International and Domestic Cruise Terminal, Ro-Pax, Ferry and other allied activities at MOPT is approved as follows:

"**Schedule of License fee for Commercial Built-up Area of the Cruise Terminal Building and Commercial land area at Mormugao Harbour for International and Domestic Cruise Terminal (IDCT), Ro-Pax, Ferry and other allied activities at Mormugao Port**

Sl. No.	**Location**	**License fees per sq mtr per month (in ₹)**
1.	Cruise Terminal Building (Ground Floor + First Floor) and Ancillary Commercial Building	350.00
2.	Commercial Land Area	70.00

Note:

1. The rates provided in the schedule of license fee shall get automatically escalated by 5% per annum for premises at Sr. no.1 and 2% per annum for land at Sr. no. 2, after expiry of each year from the effective date of implementation of the schedule of license fee and the escalated license fee shall be

considered as the prevailing Scheduled License fee for the concerned year. The lincese fee so arrived is rounded off to nearest Rupee.

2. The license fees shall remain in force for a period of five years from the date of effect of this schedule.

3. All the conditions governing the license fees shall be as per the Policy Guidelines for Land Management 2015 read with Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 dated 29 April 2019 issued by the then Ministry of Shipping, Government of India and as may be amended from time to time by the Ministry of Ports Shipping and Waterways."

5.2. The Schedule of license fee shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall remain in force for a period of five years.

6. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MOPT and the relevant users/ licensees/ lessees/ stakeholders in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./398/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.02 15:20:33 +05'30'